DHYAYA):(a) The Pharmacy Council of India has not considered the question of starting a refresher course for unskilled persons.

(b) Does not arise.

Development of a new Variety of Rice at Central Rice Research Institute, Bidyadharpur, Orissa

6201. SHRI RAJDEO SINGH : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) Whether the Central Rice Research Institute at Bidyadharpur in Orissa has developed a new high yielding variety of rice by crossbredding a Hungarian strain with a local variety ; and

(b) if so, whether Agricultural Scientists will be asked to develop a harder variety of rice to suit the needs of the average Indian farmer who cannot reach his hands to some sophisticated equipment ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) Yes. Eight tined cultures from this cross possess a fair degree of cold tolerance and good yield potential and considered suitable for early sowing in the second crop season (December-April) in south and north eastern regions. These are under test in these regions.

(b) Scientists at the Institute have the objective of breeding hardy varieties suitable for stress conditions like drought and water legging and resistance to posts and diseases.

Safeguard of interest of tobacco growers

6202. SHRI SHASHI BHUSHAN : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the steps Government propose to avoid the adverse effects of the tobacco crop of 1971-72 on account of the propoganda done by the Indian Leaf Tobacco Development Company controlling 80 percent of tobacco crop; and

(b) whether the need for introducing regulated marketing system and the auction is felt badly so that the gowers are assured of equity price and if so, the steps taken in this direction?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) Apart from the fact that the India Leaf Development Corporation issued a press statement commenting on the quality of the VFC tobacco produced in Andhra Pradesh this year the fact that there was increased production of this variety of tobacco this year resulted in a depression in the price of tobacco in the beginning of the season. With a view to alleviate hardship of growers and to see that reasonable prices are paid to them, the Government asked the State Trading Corporation to enter the tobacco market and purchase unsold quantities of tobacco from growers. The State Trading Corporation has made substantial purchases and the prices have considerably improved after the STC's entry into the market.

(b) The question of establishing regulated markets where tobacco could be sold after prelimingry grading and through open auction to ensure remunerative price to the growers is under consideration.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED APPREHENSION OF SUBMERSION OF SOME U.P. VILLAGES DUE TO PROPOSED CONSTRUCTION OF BUXAR-KOILOOR EMBANKMENT

श्री झारखण्डे राय (घोसी) : मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न लिखित विषय की ओर सिंचाई और विद्युत मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

> बिहार सरकार द्वारा बक्सर-कोइलूर तटबन्ध के प्रस्तावित निर्माण से उक्त तटबन्ध के निकट उत्तर प्रदेश के लगभग एक हजार गांवों के डूब जाने का समाचार।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : गंगा नदी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर और बलिया जिलों और बिहार के शाहाबाद जिले के बीच सीमा के रूप में है। जब गंगा में भारी बाढ़ आती है तो इस पहुंच में वह अपने दोनों किनारों से उमड़ कर बहने लगती है और नदी के दोनों ओर बहुत बड़े क्षेत्र

[श्री झारखन्डे राय]

जल मग्न हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप फसलों और घरों को क्षति पहुंचती है।

1955-56 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने क्षेत्र में नदी के बायें किनारे की लगभग 39,000 हेक्टेयर भूमि का बचाव करने के लिए बलिया से बकुला तक तटबंध के निर्माण का कार्य हाथ में लिया। जब निर्माण कार्य चल रहा था, तो बिहार सरकार ने इसके कार्यान्वयन पर इस प्रधार पर आपत्ति उठायी कि उससे दाहिने किनारे पर उनके क्षेत्र में पड़ने वाली भूमि प्रभावित होगी। यह विवाद गंगा ब्रह्मपुत्र नदी आयोग को निर्दिष्ट किया गया जिसने यह निर्दिष्ट किया कि जब तक दूसरे किनारे पर तटबंध के प्रभाव के पूरे अन्वेषण नहीं हो जाते और उससे अपेक्षित उपचारी उपायों का निश्चय भी नहीं हो जाता, तटबंध पर आगे का निर्माण कार्य बन्द कर दिया जाए। इस निर्णय के लिये जाने के समय तक सिर्फ आधे किलोमिटर की लम्बाई को छोड़कर बलिया-बैरिया बन्ध का निर्माण 33 किलोमीटर की लम्बाई में किया जा चुका था और संसार टोला-बकुला बंध का निर्माण भी अशंत: किया जा चुका था।

1966 में, बिहार सरकार ने लगभग 80,000 हैक्टेयर क्षेत्र के बचाव के लिए दाहिनी तरफ तटबन्ध के निर्माण की एक स्कीम तैयार की। तब यह सुझाव दिया गया था कि इससे पहले कि स्कीम को अंतिम रूप दिया जाए, तटबन्धों का कुल प्रभाव निश्चित करने के लिए माडल अध्ययन किए जाएं। केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र पूना में किये गये माडल परीक्षणों से यह पता चला है कि उत्तर प्रदेश में तटबंधों के पूर्ण किये जाने पर और बिहार की तरफ तटबंध के निर्माण से बाढ़ की ऊंचाइयों में उत्तर प्रदेश की तरफ 34 सेंटीमीटर से 67 सेंटीमीटर के बीच और बिहार की तरफ 9 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर के बीच में वृद्धि होगी, ऐसा बक्सर में गंगा में 18100 क्यूमेक्स (17 लाख क्यूसेक), इंचकेप पुल पर आगरा में 29000 क्यूमेक्स (10 3 लाख क्यूसेक) कोइलवर पर सोन में 17560 क्यूमेक्स (6.2 लाख क्यूसेक) और दीघा पर गंगा मे 94860 क्यूमेक्स (35 5 लाख क्यूमेक) की अधिकतम बाढ़ों के एक ही समय में एक साथ मिल जाने की आत्यांतिक स्थिति में होगा। बक्सर में गंगा में लगभग 39600 क्यूमेक्स (14 लाख क्यूसेक) और इंचकेप में घाघरा में और कोइलवर में सोन में प्रत्येक के मामले में 17100 क्यूमेक्स (6 लाख क्यूसेक) जल के निस्सार के साथ यह वृद्धि, 1971 की बाढ स्थितियों जैसी स्थितियों में, अधिकतम लगभग 30 सेंटीमीटर ही होगी।

हाल के वर्षों के बाढ़ों के अनुभव के परिणामस्वरूप, यह आवश्यक समझा गया है कि बिहार में लगभग 80,000 हैक्टेयर के और उत्तर प्रदेश में 15000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि के बचाव के लिए बिहार की तरफ तटबंध का निर्माण तेजी से किया जाए और उत्तर प्रदेश की तरफ के शेष भागों को पूर्ण किया जाए। इन तटबंधों का प्रतिकूल प्रभाव तटबंधों के भीतर आने वाले उन्हीं क्षेत्रो तक सीमित होगा, जो इस समय भी प्रभावित होते हैं, लेकिन इसमें अन्तर सिर्फ इतना होगा कि बहुत अधिक ऊंचाई की बाढ़ों के दौरान जल प्लावन की गहराई थोड़ी अधिक होगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के तटबंधों के भीतर आने वाले ग्रामो की संख्या का ठीक-ठीक अनुमान अभी लगाया जाना है लेकिन मोटे तौर पर उनकी संख्या लगभग 200 होगी।

बिहार राज्य सरकार दाहिने तटपर तटबंध के निर्माण की स्कीम को अन्तिम रूप दे रही है।

श्री झारखन्डे राय : उपाध्यक्ष महोदय, गंगा के दोनों किनारों की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बलिया बैरिया बांध, जैसा वक्तव्य में स्वीकार किया गया है, करीब-करीब

पूरा हो चुका है, लेकिन साथ ही बलिया की तरफ बनने वाले बांध का निर्माण बिहार सरकार की आपत्ति पर रोक दिया गया है, जो आज तक रुका पड़ा हुआ है। जो प्रस्तावित बांध है उससे करीब-करीब नौरंगा गांव समूह, भुवाल छपरा गांव समूह, जब ही डियारा गांव समूह, शिवपुर डियारा गांव समूह, उमरपुर डियारा गांव समूह के बारे में सरकार का अनुमान सही नहीं है। हम लोगों की सूचना के अनुसार लगभग एक हजार गांव प्रभावित हो रहे हैं और इस बांध के बनाये जाने के बाद यह गांव डूब जायेंगे।

जहां तक सरकार का अपने बयान में कहना है कि थोड़ी पानी की ऊंचाई में फिर बढ़ती होगी, तो थोड़ी ही बढ़ती में तो प्राण चले जाते हैं। इस प्रश्न के उठाने का अर्थ यह है कि उत्तर प्रदेश की तरफ से इस पर आपत्ति पेश की गई है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सारी समस्याओं के समाधान के लिये वह इस मसले में माडल सर्वे के लिये फिर से तैयार है, क्योंकि गत वर्ष जो बाढ़ आई थी देश में, उसमें पंजाब को छोड़कर करीब-करीब समस्त उत्तर भारत ग्रस्त हो चुका था। बिहार और यू० पी० भी पूरी तरह प्रभावित थे। असम और बंगाल भी प्रभावित थे? इस प्रकार के अनुभव के बाद क्या सरकार नये सिरे से इस पूरी समस्या को लेकर यू० पी० और बिहार में समन्वित माडल सर्वे करने के लिये तैयार है?

दूसरी बात यह है कि जो बांध उत्तर प्रदेश की बलिया साइड में रुके पड़े हैं उनके निर्माण कार्य को भी अगर यह बांध बनता है, हाथ में लेने का आपका विचार है?

तीसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार और केन्द्रीय सरकार इन तीनों की एक ट्राइपार्टाइट कान्फ्रेंस में इस बात के हर पहलू पर विचार करके क्या आप कोई अन्तिम निर्णय करेंगे और तब तक के लिए इस तटबन्ध के निर्माण को आप स्थगित रखेंगे?

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस विषय पर बहुत ही स्पष्ट अपने विचार हमारे सामने रखें और जो हमने सुझाव दिये हैं क्या उनको स्वीकार करके केन्द्रीय सरकार इस विषय में मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगी और किसी तरह की कोई उलझन पैदा हो तो क्या उसको वह रोकेगी? जिन एक हजार गांवों के डूब जाने की आशंका हो गई हैं, मान्यवर, ये वही गांव हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा विवाद का कारण बने रहे हैं और बहुत दिनों तक यह मसला अटका रहा है। बाद में त्रिवेदी एवार्ड के अन्तर्गत इन गांवों को उत्तर प्रदेश से बिहार को दे दिया गया था।

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO): We have been discussing this for the last 14 years. A study has been made and a model test done. According to our information, the number of villages is about 200. But these have got to be removed. They are *subject to inundation every year.* Now, when a bank has been constructed on the U. P side, it is not fair to deny the construction of a bank on the other side, on Bihar side That has gone into very carefully. Of course, the sufferings of the people involved there have to be minimised. I want to submit one thing that have been such a number of cases. On the Kosi river, we have constructed banks on both sides, and there are a number of villages within the embankment in between. *These people cannot be helped. They have got to* go to a safer place during these monsoon months.

The gaps are to be closed on the U. P. side and the bank constructed on the Bihar side. These things are to be done simultaneously. Therefore, I do not see any reason why we should hold up the work. The hon. Member has suggested that such of those villages which are on the border-line should be protected They will be protected. The number will not be very high. We will take measures which can protect these border villages. Otherwise, there is no reason why we should hold up this work.

श्री झारखंडे राय : अगर सरकार इस सब के बावजूद भी इस बात पर दृढ़ है कि वह बांध बने तो वह जो एक हजार गांव हैं—इनकी संख्या कुछ कम भी हो सकती है—इनकी रक्षा का सरकार ने कोई ध्यान रखा है या कोई स्कीम उसने बनाई है ?

DR. K. L. RAO: Whatever be the number, it would be an ideal thing for these villagers to get out of that place during these monsoon months. What can you do otherwise ? It is much better they go out to a safer place during these four months. They must get out. If they are willing to go. we will assist in the rehabilitation of these people behind the bank. Afterwards, they can go back to their place.

श्री तारकेश्वर पांडे (सलेमपुर) : गंगा के दोनों तरफ, एक तरफ शाहबाद है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है। यहां पर नए बांध की यह जो योजना बनाई गई है, यह क्या उत्तर प्रदेश की सरकार की सहमति से बनाई गई है, ? क्या उससे इसके बारे में पूछा गया है और अगर पूछा गया है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि गंगा नदी के दाएं तटों पर यहां कितने गांवों पर इसका असर पड़ेगा और उनकी जन संख्या क्या है और उनकी रक्षा के लिए क्या सरकार ने किसी प्रकार की योजना को तैयार किया है ?

यह बहुत लम्बा बांध बनाया जा रहा है...

एक माननीय सदस्य : बहुत लम्बा चौड़ा नहीं है।

श्री तारकेश्वर पांडे : मेरे हिसाब से बहुत लम्बा चौड़ा है। आपके हिसाब से पांच मील का बांध है। लेकिन मेरे हिसाब से लम्बा चौड़ा जो बांध बनाया जा रहा है इस बांध से गंगा नदी के बीच और इसके दोनों तरफ इसकी अधिकतम और न्यूनतम लम्बाई कितनी होगी। बिहार भी है और उत्तर प्रदेश भी है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार और केन्द्रीय सरकार में किसी ऐसी योजना पर विचार किया है कि इन गांवों में रहने वाले लाखों लोगों का भविष्य क्या होगा ?

मैं सरकार के वक्तव्य को मिथ्या मानता हूं। हम उस स्टेट के रहने वाले हैं। वहां गंगा भी है और घाघरा भी है। गंगा में भी बांध है और घाघरा के किनारे भी बांध है। बीच का दर्वाजा खुला हुआ है। यह करीब बारह बरस से खुला हुआ है। मंत्री महोदय स्वयं भी वहां पर गए थे। वह समीप तक गए थे। वह दर्वाजा भी अभी तक बन्द नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय के जाने का क्या परिणाम हुआ है मैं नहीं समझता हूं कि अभी तक कोई परिणाम निकला है। इस पर भी प्रकाश आप डालें।

DR. K. L. RAO: The scheme has been agreed to by both. On the U. P. side. the hon. Member had said, there was a gap. That will now be filled up. The embankment will be constructed right from Balia along both Ganga and Gagra. The agreement has been to fill that gap on one side and extend the bank, and on the other side to construct a new bank, which will protect the Bihar side And that is what is being done. I know full well that quite a number of villages are there, so many people are there, but we have to take the decision some time. People living in those areas are exposed to danger every year and it is better that they are evacuated during the monsoon months.

श्री तारकेश्वर पांडे : इसकी लम्बाई लगभग सत्तर अस्सी मील की है। गंगा के दोनों तरफ इनसे कितने गांव एफैक्टिड होंगे और उनकी जन संख्या क्या है ? क्या सरकार के पास कोई योजना है कि गंगा के किनारे जो गांव बसे हुए हैं उनको कहां बसाया जायगा ?

DR. K. L. RAO: The number of villages may be about 200 and the population will be at the rate of about 500 people in each village. The aim of the Governments is to see that the people are rehabili-

tated and provided areas outside the bank and not on the riverside.

श्री राम चन्द्र विकल (बागपत) : बिहार सरकार जो बांध बना रही है तो उसके लिए कोई माडल सर्वे कराया गया है या नहीं ? यदि कराया गया है तो उसका क्या परिणाम निकला है ? क्या उससे यह भी पता चलता है कि इससे कितनी हानि जनसंख्या को होगी ।

उत्तर प्रदेश सरकार की इसके लिए क्या स्वीकृति ली जा चुकी है, यदि हां तो कब ?

जो बांध लगाया जा रहा है इसके अन्दर यह कहा जाता है कि एक हजार के करीब गाव आ जाएंगे और उन गावों की जन सख्या करीब दो लाख होगी । अब मैं जानना चाहता हूं कि उन गावों की सुरक्षा के बारे मे क्या किया जा रहा है ? इस बाध से कितनी आबादी को और कितनी जमीन को फायदा होगा ?

DR. K L. RAO : I have already answered the question. The area that will be benefited is about one lakh hectares or 2½ lakh acres, and the people who will be benefited will be of the order of 3 to 4 lakhs. Fuether, the people in the Diara area, that is, in between the embankments, can still cultivate in the *Rabi* period and protection will be given for about 3½ lakhs of acres.

श्री रामचन्द्र विकल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि इस बांध के बनाने से जो एक हज़ार गांव उजाड़े जा रहे हैं, वह ज्यादा हानि है या बिहार में जो ज़मीन या आबादी बचेगी, वह ज्यादा है । मन्त्री महोदय दोनों मे फ़र्क बता दें ।

DR. K. L. RAO : As I submitted already, the villages are about 200 and the population is 1 lakh people. They are already affected by floods every year. We cannot help that. So, what I have been submitting is that by the construction of the bank, 2½ lakhs acres will be benefitted and the population benefitted will be 3 lakhs people.

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया): उपाध्यक्ष महोदय, यह जीवन-मरण का सवाल है । मंत्री महोदय के जवाब से लगता है कि वह स्वय किसान नही हैं और उन को किसानों की समस्याओ की जानकारी नही हैं । उन्होने कहा है कि किसान आठ महीने तक अपने क्षेत्र में खेती करें और चार महीने के लिए वहा से हट जायें । किसान वही रहेगा, जहां उस की जीविका या जमीन होगी । क्या वह चार महीने के लिए बलिया चला जाये, जहा ज़मीन नही है ? या क्या वह बक्सर, शाहाबाद, लखनऊ या आन्ध्र-प्रदेश चला जाये ? आखिर किसान चार महीने के लिए कहां जा सकते हैं और कैसे जा सकते है ? मंत्री महोदय को किसानो के विषय मे जानकारी नही है और वह बहुत अव्यावहारिक बात कर रहे है ।

मन्त्री महोदय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकृति दे दी है । मेरे पास यह चिट्ठी है, जो यू० पी० के चीफ़ इंजीनियर ने श्री बंसल, जायंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री आफ इरिगेशन, गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखी है । यह चिट्ठी 5 मई, 1972 को लिखी गई है और इस का नम्बर 1284 । सी जी गंडक एड बलिया है । इस की कापी बिहार के चीफ़ इजीनियर, श्री वर्मा, को भेजी गई है । इस चिट्ठी में कहा गया है कि इस बारे में जानकारी दी जाये कि योजना क्या है और माडल सरवे की रिपोर्ट क्या है । इस चिट्ठी मे बाध बनाने का साफ विरोध किया गया है ।

बिहार सरकार के एतराज करने पर केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश मे कितने ही बांध बनने से रोक दिये और माडल सरवे के लिए बारह बरस तक लटकाये रखा । लेकिन केन्द्रीय सरकार वह भेदभाव की नीति अपना रही है कि उत्तर प्रदेश के एतराज करने पर भी कहा जा रहा है कि यह बांध बनाया जायेगा । उत्तर प्रदेश को इस बारे में कोई जानकारी नही है । उस को जानकारी नही दी जाती है । मंत्री महोदय कहते हैं

[श्री चन्द्रिका प्रसाद]

कि यह बांध बनेगा। अगर यह बांध बनेगा, तो हम भी जान देने के लिए तैयार हैं।

बिहार भी हमारा सूबा है और उत्तर प्रदेश भी हमारा सूबा है। इस बांध पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इंजीनियर्ज को देखना चाहिए कि जो बांध बनाया जाये, वह टूटेगा नहीं। बलिया में गत बाढ़ में बिड़ला बांध, तुरतीपार बांध और श्रीनगर बाध टूट गये है। इंजीनियर्ज इस प्रकार बांध बनवा कर देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। यह साबित हो चुका है कि बाढ़ की समस्या का हल बांध नहीं हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस चिट्ठी का मैंने हवाला दिया है, क्या मंत्री महोदय को उसकी जानकारी है? क्या मंत्री महोदय उत्तर-प्रदेश और बिहार के मुख्य मंत्रियों और चीफ इंजीनियर्ज के साथ बैठ कर कोई रास्ता निकालेंगे? उन्होंने कहा है कि एक लाख लोग प्रभावित है। लेकिन गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि तीन लाख लोग प्रभावित है। हमारे सामने समस्या यह है कि ये तीन लाख लोग कहा जाये। ये जो एक हजार गांव गंगा के किनारे हैं, उन को ऊंचा कर के जोड़ दिया जाये और उन से तटबंध का काम लिया जाये। गंगा को पांच छः जगह ठोकर बना कर रेगुलेट किया जाये, ताकि उत्तर-प्रदेश और बिहार में उस का पानी सीमा से बाहर न जाये।

DR. K. L. RAO: I am not able to understand the hon. Member objecting to the embankment. At Gayaghat there is an embankment which has been attacked by the Ganga and we have been spending lakhs of rupees. But the hon. Member has been insisting that that embankment must be protected because there are people behind it. Similarly, people on the other side also will be anxious to get protection by an embankment.

We want to protect as far as possible the villages which are far away from the river course and the inundation is 3' and we have tried to do and protect them as far as possible but, there are villages right on the bank of the river. Such villages we could not protect. They exist here also in Delhi, right in Delhi, in Jumna, like Jagatpur. Some people living on the river side come and say their villages are inundated. What can we do? They have to go. Some villages Can be protected by the Construction of embankments. Necessary protection measures are being done. We are anxious not to cause any damage to anybody but it is not possible to avoid some damages.

श्री चन्द्रिका प्रसाद: उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार जानना चाहती है कि योजना क्या है और माडल सरवे की रिपोर्ट क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार उन गांवों को बचाने के लिए तैयार है। मंत्री महोदय देश के सब से बड़े इन्जीनियर है। वह दोनों प्रदेशों के चीफ इंजीनियरों को मीटिंग में बुला कर उन गांवों को बचाने का कोई रास्ता निकालें। वह उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्य मंत्रियों को बुला कर इस समस्या का हल निकालें।

DR. K. L. RAO: I have not received any letter from the U. P. Government on the subject. As suggested by the hon. Member I will consult the various parties concerned to minimise the damage and see how protection can be given to the people affected to the extent possible.

SOME HON MEMBERS:—*rose* (*Interruptions*)*

MR. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record. (*Interruptions*)**

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): I gave the notice at 10-30 (*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKOR; I have not had the time to look into that. (*Interruptions*) I don't want to shut anybody out. There is a certain procedure which has to be followed. You may Kindly see Rule 377. You gave certain notice under Rule 376. You should give me time to consider it. Regarding Calling Attention already one has been admitted. (*Interruption*)

** Not recorded.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : Considering the high feelings of members, I will allow each one or two minutes to make a statement only one for each subject, not, two or three for every subject. Otherwise, it becomes a debate which I cannot allow. Only one for each subject-just mention it, that is all.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : This fortnightly paper in Kerala *Nawab* had published a photostat in which the PA to the Home Minister of Kerala, Shri Karunakaran, says that the Minister had instructed Shri B. B. John, son-in-law ..

MR. DEPUTY-SPEAKER : He will realise that this is a State subject.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : Freedom of the press is involved.

SHRI P. K. DEO (Kalabandi) : He should be allowed to complete his sentence.

MR. DEPUTY SPEAKER : I have listened to him. He is mentioning about the name of a Minister in Kerala. If we start this precedent of discussing about Ministers of the States here, it will not be proper.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Photostat copy is here

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is for the Kerala Assembly to look into it. We can not set this precedent of discussing such matters here.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : It is a different issue altogether.

MR. DEPUTY-SPEAKFR : These are matters coming within the responsibility and purview of the State Assembly. If we start discussing these things about them, they will do likewise in their Assemblies about us. Then where does parliamentary democracy go ? I connot allow it.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : ***

MR. DEPUTY-SPEAKER : Nothing that Shri Bosu says will go on record.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : ***

MR. DEPUTY-SPEAKER : He will kindly co-operete. I connot allow such matters to be discussed here. An editor has been taken into custody. It is the responsibility of the State Government.

SHRI P. K. DEO : On a point of order. This is on the point raised by Shri Bosu. This House has on many occasions discussed the conduct of Chief inisters of Various States. There was a historic ruling · ·

MR. DEPUTY-SPEAKER : It does not matter. I am not going to be drawn into a discussion on this. If he is not satisfied with my ruling, he might meet me in my Chamber.

SHRI P. K. DEO ***

MR. DEPUTY-SPEAKER : What Shri Deo says will not go on record.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : If you want our co-operation, do not overdo it.

MR. DEPUTY SPEAKER : I want his co-operation. But I cannot allow this.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : I have not come here to sit dumb.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Of course, he is a very vocal and powerful member here. (*Interruptions*) Order, please. Mr. Bhogendra Jha.

12.35 hrs

Re. RAILWAYMEN'S STRIKE IN BARAUNI AREA FOR GRANT OF PROJECT ALLOWANCE

SHRI BHOGENDRA JHA (Jainagar) : Sir, on the 8th February, 1971, the Railway Board through its letter agreed that the Barauni railwaymen will get a project allowance in accordance with the decision of the Board of Arbitration on the issue. Thereafter, the present Railway Minister violated this order of the Railway Board, and because of this, there has been a strike for 33 days in the Barauni area. (*Interruption*) thereafter, on the written, signed assurance of the Labour Minister that there would be no victimisation and that the demands would be granted according to the directive of the Board, the railway strike was withdrawn, and

** Not recorded.